

26-11-2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
प्रकाशचंद अण्डा पुत्र रूपाराम जाति जाल खा. शिव		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 235/2021

GCMS No. 2021/977

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
इस हुक्म की  
तारीख में जारी  
हुए

26.11.2021

वादी श्री प्रकाशचंद अण्डा पुत्र रूपाराम  
जाति जाल निवासी शिव द्वारा आज "प्रशासन  
गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत शिव  
में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-76  
ग्राम शिव पटवार मण्डल शिव के खाता  
नम्बर 8,170 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि

प्रकाश पुत्र रूपाराम  
दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम प्रकाशचंद अण्डा पुत्र

रूपाराम है, तथा इसी अनुसार

राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है।  
जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न.

आधार नम्बर 308990910447

मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज  
की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी शिव भू.अ.नि चितावा  
एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट  
तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं  
प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार  
राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये  
जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल  
हो।



उपखण्ड अधिकारी  
कुचामनसिटी (नागौर)



998-ku